

### **Option of not voting for any candidate- Rule 49-O of Conduct of Elections Rules, 1961**

Rule 49-O of the Conduct of Elections Rules, 1961, provides that if an elector goes to the polling station and after going through the legal formalities of his/her identification, application of indelible ink on the finger and affixing of signature in the register of voters (Form 17A), decides not to vote, the elector has to inform the Presiding Officer/polling officer about the decision not to vote, and the latter will then record a remark to that effect against the entry relating to that election in the register of voters and take the signature/thumb impression of the elector concerned against that remark. The voter can then leave the polling station without voting for any candidate.

**“Rule 49-O – Elector deciding not to vote -** If an elector, after his electoral roll number has been duly entered in the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression thereon as required under sub-rule(1) of rule 49L, decides not to record his vote, a remark to this effect shall be made against the said entry in Form 17A by the presiding officer and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remark.”

In those cases where electors exercise the option of not voting under Rule 49-O, they would only be deemed to have not voted for any candidate and their votes would be invalid under the law. The candidate who secures the highest number of valid votes polled, irrespective of the percentage of votes polled by him/her, is declared elected. However, the number of electors who exercise the option under Rule 49-O is reflected in the account of votes recorded (Form 17C) which is prepared by the Presiding Officer for each polling station at the end of the poll.

The procedure prescribed under Rule 49-O is such that the decision and identity of the elector not voting for any candidate is known to those present in the polling station including the polling agents. In order to ensure that the identity of such elector is not revealed and is kept secret, the Commission has made a proposal to the government to amend the rules so as to provide for a 'none of the above' button on the balloting unit of the EVM after the name of the last candidate on the list. This will enable an elector to exercise the option of not voting for any of the candidates in secrecy, by pressing the 'none of the above' button. The Commission had sent the proposal on 10-12-2001.

## किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने का विकल्प- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49-ण

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49ण यह उपबंधित करता है कि यदि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र में जाकर है तथा अपनी पहचान की विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करके, अंगुली में अमिट स्याही के लगवाने तथा मतदाता रजिस्टर (फार्म 17क) में हस्ताक्षर करने के पश्चात, मत न देने का निश्चय करता है, तो निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी को अपने मत न देने के निश्चय के बारे में सूचित करना होगा तथा पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में उस निर्वाचक की प्रविष्टि के सामने इस आशय की टिप्पणी रिकार्ड करेगा और संबंधित निर्वाचक के उस टिप्पणी पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेगा। इसके उपरान्त मतदाता किसी भी अभ्यर्थी को मत दिए बिना मतदान केन्द्र से चला जाएगा।

**“नियम 49ण- निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना-** यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 39ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्रास करेगा।“

उन स्थितियों में, जहां निर्वाचक नियम 49ण के अधीन मत न देने का विकल्प अपनाते हैं, तब उन्हें यह माना जाएगा कि वे किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं तथा उनका मत विधि के अनुसार अवैध होगा। वह अभ्यर्थी जो डाले गए वैध मतों में सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, उसे, उसके द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत की गणना के बिना, निर्वाचित घोषित किया जाता है। यद्यपि, निर्वाचकों की वह संख्या जो नियम 49ण के अधीन विकल्प का प्रयोग करते हैं, वे रिकार्ड किए गए मतों के लेखे (फार्म 17ग) में दर्शाए जाएंगे जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदान की समाप्ति पर तैयार किया जाता है।

नियम 49ण के अधीन निर्धारित प्रक्रिया ऐसी है कि निर्वाचक द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने का निश्चय तथा पहचान के बारे में जानकारी मतदान केन्द्र में मतदान एजेन्टों सहित उपस्थित अन्य व्यक्तियों को हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे निर्वाचकों की पहचान का पता न चले तथा उसकी पहचान गुप्त रखी जाए, इसके लिए आयोग ने नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है ताकि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मत पत्रीय इकाई की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद ‘उपर्युक्त में से कोई नहीं’ के बटन का प्रावधान हो सके। यह निर्वाचक को ‘उपर्युक्त में से कोई नहीं’ का बटन दबाकर, गुप्त रूप से किसी भी अभ्यर्थी को मत न देने के विकल्प का प्रयोग करने में मदद करेगा। यह प्रस्ताव आयोग द्वारा दिनांक 10-12-2001 को भेजा गया था।